

SANT SRI PRANNATH PARNAMI P.G. COLLEGE

(AFFILIATED TO MAHARAJA GANGA SINGH UNIVERSITY, BIKANER)

(Faculty of Arts, Science, Commerce & Education)

PADAMPUR-335041 DISTT. SRI GANGANAGAR (RAJ.)

संत श्री प्राणनाथ परनामी पी.जी. कॉलेज, पदमपुर-335041



Ref.SPN/PDP/

Date.....

Tuition Fee / Fees Charged From Students

As per the Directorate of College Education, Rajasthan Govt. order fee details is as follows

| S.N. | HEAD | B.A-B.Ed/ B.Sc-B.Ed |
|------|-----------------------|---------------------|
| 1 | Teaching Charges | 17880 |
| 2 | Miscellaneous Charges | 4440 |
| 3 | Computer Charges | 960 |
| 4 | Other Activities | 3600 |
| | Total | 26880 |

प्राचार्य

PRINCIPAL
Sant Sri Prannath Parnami PG College
Padampur, Sri Ganganagar

12/12/15
14/12/15

राजस्थान सरकार
शिक्षा(गुप-4) विभाग

क्रमांक ए 11 (3) शिक्षा-4/2009/गद

दिनांक 22 मार्च 2016

आदेश

शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए सत्र 2016-17 के लिए शुल्क

भारत काउन्सिल ऑफ़ हीयर एज्युकेशन के रेगुलेशन के अनुसार उचित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण नीति की अनुसंधान पर राज्य के गैर-अनुदानित शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सत्र 2016-17 के लिए निम्नानुसार वार्षिक शुल्क निर्धारित किया गया है-

| क्र.सं. | भेद | बी.एड./ शिक्षाशास्त्री | एम.एड./ शिक्षा-आचार्य | बी.पी.एड./ एम. पी.एड. | (संश्लेषण में) बी.ए-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड./ बी.एड.सी-बी. एड. |
|---------|---------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | शिक्षण शुल्क | 17880.00 | 17880.00 | 17880.00 | 17880.00 |
| 2 | विक्रय शुल्क | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 |
| 3 | कम्प्यूटर शुल्क* | 960.00 | - | - | 960.00 |
| 4 | अन्य परिविधियां* | 3600.00 | - | - | 3600.00 |
| | योग | 26880.00 | 22320.00 | 22320.00 | 26880.00 |

* (क.स. 3 व 4 पर निर्दिष्ट शुल्क बी.पी.एड. व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगा।)

120
27052

संबन्धीय समितियों के क्रम संख्या 2 में निर्दिष्ट विधि-शुल्क का भुगतान नियमानुसार होगा

| क्र.सं. | भेद | बी.एड./ शिक्षाशास्त्री | एम.एड./ शिक्षा-आचार्य | बी.पी.एड./ एम.पी.एड. | बी.ए-बी.एड./ बी.एड.सी-बी.एड./ बी.एड.-एम.एड. |
|--------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---|
| (A) कार्यालय व्यय | | | | | |
| 1 | प्रवेश शुल्क * | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2 | कोशन मनी * | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 3 | प्रमाण-पत्र | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 4 | विकास शुल्क | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 5 | विजती-पानी | 840 | 840 | 840 | 840 |
| 6 | परीक्षा | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | किराना | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | योग (A) | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 |

शिक्षक पत्रिका गुप


वेनसार्ड पत्रागार, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

| (B) सत्र कोर | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | वेतन | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 2 | प्रसाधारण | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 3 | अन्य समित पत्र | | | | |
| 4 | संशोधन | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 5 | प्रयोगशाला | | | | |
| 6 | संसिद्ध तकनीकी | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 7 | आवृत्तियाँ / वास्तुनिर्माण | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 8 | विज्ञान सुलभ | 360 | 360 | 350 | 360 |
| 9 | आवृत्तियाँ व्यय | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | योग (B) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| | महायोग (A+B) | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 | 4440.00 |

(* कार्यालय धाम को क्रम 1 व 2 पर वर्णित मद को शुल्क किसी भी प्राथमिक में (निक प्रयोग के प्रथम वर्ष में ही देय होगा।)

उपरोक्त शुल्क वार्षिक रूप से देय होगा। पूर्व के वर्षों में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को वर्ष 2016-19 / आगामी वर्षों के लिए समत आदेश के अनुसार ही वार्षिक शुल्क प्रवेश शुल्क व किराया गरी मद की राशि को छोड़कर देय शुल्क संबंधित महाविद्यालय/संस्था में जमा करवाया होगा। उपरोक्त शुल्क में आंतरिक वार्षिक विद्यार्थी सुलभ सुविधा सेवा योजना के प्रोग्राम की राशि प्रत्येक से देय होगी।

शुल्क की राशि जमा करने हेतु प्रवेश समन्वयक व महाविद्यालय/संस्था राज्य सरकार व केंद्र सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक/ विद्यार्थियों को आवश्यक रूप से जमा/संग्रह विकल्प उपलब्ध करवाए।


 (डि० एम० जी० जी०)
 आयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा

प्रतिनिधि सूचना/आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निदेशक सचिव, मानवीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आर्थिक धाम एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष, एनसीटीई, गई दिल्ली।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, प्राथमिक शिक्षा, जयपुर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
9. क्षेत्रीय निर्देशक एनसीटीई (एनआरसी) जोधपुर-1, एनआईसी भवन, अन्वरखान साईबल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर।
10. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
11. कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. कुलसचिव, जयपुरासमन धारा विश्वविद्यालय, जयपुर।

शिक्षक पत्रिका